इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 601] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2018—कार्तिक 18 शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2018

क्र. 71-वि.निर्वा.-चार-2018-226.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576/Exit/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2018/VOL. II, दिनांक 8 नवम्बर, 2018 तथा उसका हिन्दी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

व्ही. एल. कान्ताराव, प्रमुख सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 8th November, 2018

NOTIFICATION

No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2018/Vol-II.—Whereas, the schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of **Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana** has been announced by the Commission *vide* Press Note No. ECI/PN/67/2018, dated 6th October, 2018.

2. Whereas, as per the schedule so announced by the Commission, poll for the **election in Chhattisgarh is scheduled to be taken on 12-11-2018 (Monday) & 20-11-2018 (Tuesday), poll for the election in the States of Madhya Pradesh & Mizoram is to be taken on 28-11-2018 (Wednesday), poll for the election in the States of Rajasthan & Telangana to be taken on 07-12-2019 (Friday) and;**

3. Whereas, as per the provisions of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

4. Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M. on 12-11-2018 and 5.30 P.M. on 7-12-2018** as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana, announced by the Commission vide Press Note dated 06th October, 2018, shall be prohibited.

5. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in each of the phases in connection with the aforesaid General Elections.

By order,

Sd./-

(N. T. BHUTIA)
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

सं 576/एक्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2018/खंड-II.—यतः, आयोग ने दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/67/2018 के द्वारा **छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना** की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की थी;

2. यतः, आयोग द्वारा इस प्रकार से घोषित अनुसूची के अनुसार **छत्तीसगढ़** में निर्वाचन का 12-11-2018 (सोमवार) और 20-11-2018 (मंगलवार) को कराया जाना निर्धारित है **मध्यप्रदेश और मिजोरम** राज्यों में निर्वाचन 28-11-2018 (बुधवार) को कराया जाना निर्धारित है और **राजस्थान और तेलंगाना** निर्वाचनों हेतु मतदान 07-12-2018 (शुक्रवार) को कराया जाना है;

3. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा यथा अधिसूचित अवधि तक प्रतिबन्धित है.

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **12-11-2018 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से दिनांक 07-12-2018 को अपराह्न 05.30 बजे** तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट द्वारा घोषित **छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना** की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा.

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(एन. टी. भूटिया)
सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.